निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 1016) पटना, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2015

सं0 ग्रा0वि04/विश्व बैंक 14-07/2012––244117

ग्रामीण विकास विभाग

———————

संकल्प

26 अगस्त 2015

विषय:- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं जिला में लेखा संधारण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु जिला स्तर पर प्रखंडों के अनुसार 38 जिला अंकेक्षण प्रबंधक, 38 जिला वित्त प्रबंधक, 04 जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक (वैसे जिले जहां प्रखण्डों की संख्या 20 से अधिक है), 04 जिला सहायक वित्त प्रबंधक (वैसे जिले जहां प्रखण्डों की संख्या 20 से अधिक है), 65 अंकेक्षण सहायक एवं 65 लेखा सहायक के पदो पर अनुबंध के आधार पर छ: वर्ष के लिए नियोजन हेतु कुल 214 पदों के सृजन किये जाने, इनके मानदेय पर होने वाले व्यय की स्वीकृति एवंप्रखंड स्तर पर लेखापाल का कार्य इंदिरा आवास के तहत कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) से तीन माह का Tally का प्रशिक्षण देकर प्रति लेखा सहायक उनके मानदेय में 1000/- रूपये प्रति माह बढ़ोतरी कर इन कर्मियों (लेखा सहायक) का मानदेय भुगतान इस परियोजना से करने की स्वीकृति के संबंध में ।

बिहार सरकार सुशासन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं की डिलीवरी की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य सरकार सेवा डिलीवरी से संबंधित सभी कमी को दूर करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है। इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विश्व बैंक संपोषित योजना स्वीकृत की गयी है, जिसका नाम बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BIHAR INTEGRATED SOCIAL PROTECTION STRENGTHENING PROJECT) है ।

2. बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है ।

3. बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना में वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरणका कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है । इस योजना अंतर्गत प्रखंडों एवं जिला स्तर पर सार्वजनिक धन के सदुपयोग हेतु लेखा संधारण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिसे सही एवं समयबद्ध प्रतिवेदन सुनिश्चित किया जा सके जो समयानुसार अनुदान जारी करने में मदद करेगा ।

4. इस योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा 6 वर्षो (वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक) की होगी जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित होगा । इस योजना के अंतर्गत सभी कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर होगी एवं संविदा की अवधि 11 माह की होगी तथा कर्मियों की कार्य उपलब्धि के आधार पर उनके नियोजन अवधि को योजना की समय सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

5. इस योजना पर व्यय भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण की राशि एवं राज्य सरकार के अंशदान की राशि के उपबंधित निधि से किया जाना है । जिसमें विश्व बैंक का अनुदान 70 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 30 प्रतिशत का होगा ।

6. इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत 120 Million U.S dollar **में से** BRDS **ग्रामीण विकास** “Strengthening systems and capacity for safety Net Delivery”**के लिए 24.4** Million U.S dollar **है जिसमें राज्य सरकार को 30%** **अर्थात 7.3** U.S Million dollar **खर्च किया जाना है।**

7. पदों की संरचना, मानदेय एवं संक्षिप्त दायित्व निम्नलिखित है

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	Responsibilities
01	जिला अंकेक्षण प्रबंधक	38	35000 रूपये	Accounting, consolidation of reports, oversight and audit of block units, scheme wise audit for district and blocks, Submission of UC and Settlement for audit objections.
02	जिला वित्त प्रबंधक	38	35000 रूपये	
04	जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक	04	25000 रूपये	
05	जिला सहायक वित्त प्रबंधक	04	25000 रूपये	
06	लेखा सहायक	65	15000 रूपये	
07	अंकेक्षण सहायक	65	15000 रूपये	
	कुल पद	214		

***सभी प्रखंडों (534) में प्रखंड लेखापाल का कार्य इंदिरा आवास योजना के तहत कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) से तीन माह का** Tally **का प्रशिक्षण देकर प्रति लेखा सहायक उनके मानदेय में 1000.00/- रूपये की वृद्धि कर ली जानी है।** Tally **प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना**(BISPS) **से देय होगी।**

उपर्युक्त पदों की गणना जिलों में प्रखंडों की संख्या के आधार पर की गयी है। (विवरणी परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।) स्वीकृत हेतु पदों की संख्या, उनका मानदेय, चयन का आधार एवं उसपर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणी तथा उनको दी जाने वाली जिम्मेदारी आदि परिशिष्ट 'क' पर संलग्नहै ।

8. उपर्युक्त पदों के परिचालन हेतु प्रतिवर्ष 12 करोड़ 50 लाख 04 हजार रूपये (इन्दिरा आवास लेखा सहायक के मानदेय को सम्मिलित कर) खर्च अनुमानित है ।

9. दिनांक 04.08.2015 को आयोजित प्राधिकृत समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया है :-

(क) बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं जिला में लेखा संधारण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु जिला स्तर पर अनुबंध के आधार पर छः वर्ष के लिए नियोजन हेतु कुल 214 पदों के सृजन किये जाने एवं इनके न्यूनतम मानदेय क्रमशः जिला अंकेक्षण प्रबंधक 35000/- रूपये, जिला वित्त प्रबंधक 35000/- रूपये, जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक 25000/- रूपये, जिला सहायक वित्त प्रबंधक 25000/- रूपये, अंकेक्षण सहायक 15000/- रूपये एवं लेखा सहायक 15000/- रूपये प्रति माह की दर से होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(ख) सभी प्रखंडों (534) में इंदिरा आवास के तहत कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) से तीन माह का Tally का प्रशिक्षण देकर प्रति लेखा सहायक उनके मानदेय में 1000/- रूपये प्रति माह बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की गई । Tally प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) से देय होगी।

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 अंतिम तीन माह में उपर्युक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान के रूप में कुल 3,28,56,000 (तीन करोड़ अठाईस लाख छप्पन हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई ।

10. बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं जिला में लेखा संधारण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कंडिका 07 में उल्लेखित पदों को स्वीकृति, तदानुसार पदों के सृजन, संविदा पर 06 वर्ष के लिए नियोजन, व्यय एवं परिशिष्ट 'क' पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1016-571+300-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in